

कार्यालय:- जिला कार्यक्रम अधिकारी, एटा।

172

पत्रांक- /जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2026-27

दिनांक 28 जुलाई 2026

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या- I/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद एटा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्रम.	परियोजना	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री				आंगनबाड़ी सहायिका			
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल
		(UR)	(OBC)	(SC)		(UR)	(OBC)	(SC)	
1	अलीगंज	10	3	7	20	6	4	7	17
2	अवागढ़	4	4	5	13	7	4	4	15
3	जैथरा	3	4	8	15	7	2	3	12
4	जलेसर	7	7	3	17	7	2	6	15
5	मारहरा	12	4	3	19	12	6	5	23
6	नि0 कलां	7	3	3	13	6	2	5	13
7	सकीट	8	5	7	20	2	3	10	15
8	शीतलपुर	8	3	1	12	3	3	4	10
9	एटा शहर	0	4	0	4	1	3	6	10
कुल योग		59	37	37	133	51	29	50	130

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड, बाल विकास परियोजना कार्यालय इत्यादि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर भी अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध शासनादेश I/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 एवं दिये गये निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
2. चयन की समस्त कार्यवाही प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या- I/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 व चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अधीन होगी।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में चयन शासनादेश अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का पालन किया जायेगा।
4. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उससे समकक्ष होगी, अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी। हाईस्कूल के अंको को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक 01.07.2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति के किसी भी अभ्यर्थियों को पृथक से आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं होगी।

➤ आवेदिका को रिक्त पद के सापेक्ष वार्ड (शहरी क्षेत्र)/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा।

7. सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता :-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

➤ उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही :-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

➤ उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

➤ विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

➤ तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

8. यदि किसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में एक से अधिक रिक्तियां विज्ञापित हैं, और किसी/किन्हीं आवेदकों द्वारा पात्रता आदि की दशा में सभी विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन किया गया है, तो मेरिट/वरीयता की दशा चयन का आधार पोर्टल पर जनरेटेड पहले आने वाली आंगनबाड़ी केन्द्र कोड होंगे, अर्थात् इस हेतु अभ्यर्थी से कोई विकल्प नहीं लिया जायेगा, और पोर्टल पर सर्वप्रथम जनरेट केन्द्र पर पहले विचार किये जाने और चयन हो जाने की दशा में दूसरे केन्द्र कोड पर चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

9. ग्राम पंचायत/वार्ड का निर्धारण वर्तमान परिसीमन के अनुसार किया जायेगा तथा सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र का आरक्षण पूर्ववत् रहेगा।

10. आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो। इस सम्बन्ध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग

द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

171

गरीबी रेखा से आय सीमा का पुननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00/- (छियालीस हजार अस्सी) और नगरीय क्षेत्र में रू0 56460.00/- (छप्पन हजार चार सौ साठ) गरीबी रेखा हेतु निर्धारित वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वैध होना अनिवार्य है।

11. आय प्रमाणपत्र विज्ञप्ति प्रकाशित तिथि के तीन वर्ष पूर्व तक का निर्गत ही मान्य होगा। 03 वर्ष से पूर्व निर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के मानक की आय प्रमाणपत्र ए0पी0एल0 श्रेणी में व्यवहृत होगा।
12. निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
13. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। आवेदन करते समय आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन क्रमांक व प्रमाण पत्र क्रमांक, प्रमाण पत्र के अनुसार भरें, यदि आवेदिका द्वारा आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक व पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः सभी से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के प्रकरण में भी आवेदन हेतु पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप के इस हेतु निर्धारित कॉलम में दावा करने सहित सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है, इससे सम्बन्धित अभिलेख इस विज्ञप्ति के ऊपर प्रदर्शित है, यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, तो इसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होगी, त्रुटि सुधार हेतु ऑफ लाइन कोई पत्र/प्रपत्र आदि स्वीकार नहीं होंगे।
14. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन केवल आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन/डाक के माध्यम से आवेदन पत्र एवं अन्य कोई अभिलेख किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे, तथा ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाएं ही चयन के लिए प्रयोग की जायेगी, कोई भी अन्य कागजात पृथक से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28/07/2026 से अन्तिम तिथि 17/08/2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
16. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित है, जिस पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कभी भी समाप्त किये जा सकते हैं।
17. एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
18. यदि चयनित अभ्यर्थी ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद/पार्षद इत्यादि पद पर पूर्व से निर्वाचित है, तो उक्त चयनित अभ्यर्थी को योगदान करने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा अन्यथा की स्थिति में उसके चयन को निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा।
19. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, (बाल विकास विभाग, द्वितीय तल, विकास भवन, निकट मण्डी समिति, अलीगंज रोड एटा।) कार्यालय से कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट:- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। रिक्तियों एवं आरक्षण के सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है, तो चयन के सम्बन्ध में समाधान के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में विभाग का निर्णय ही मान्य होगा।

(संजय कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
एटा।

पृष्ठांकन संख्या- C-762 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, एटा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एटा।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, एटा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण, आंगनबाड़ी चयन समिति, एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, एटा को इस आशय से प्रेषित है, कि जनपद एटा के उपरोक्त उल्लिखित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की विज्ञप्ति एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एटा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त रिक्तियों की सूचना एन0आई0सी0 एटा की वेबसाइट etah.nic.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, एटा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि विज्ञप्ति की एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद एटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति व ग्राम पंचायत/वार्डवार केन्द्रों की सूची को कलेक्ट्रेट, विकास भवन, समस्त विकास खण्ड, परियोजना कार्यालय एवं तहसील कार्यालय इत्यादि के सूचना पट पर चस्पा करते हुये चस्पा प्रमाण पत्र की फोटोग्राफ (जी0पी0एस0 युक्त) सहित सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
एटा।